महत्वपूर्ण / ई–मेल

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक : 21 अप्रैल, 2023**

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा के संबंध में।

महोदय,

कृपया पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–01 / भा0स0 / 64–2099 / 3 / 2023 दिनांक 13.02.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.12.2022 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी प्रश्नावली के संबंध में विभाग से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र दिनांक 22.12.2022 के साथ संलग्न प्रश्नावली के आवासन शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु–(iii) पर वांछित सूचना निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Signed by अरूणेश कुमार द्विवेदी
Date: 20-04-2023 18:12:13
Reason: Approved

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि

(1) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को संलग्लक सहित इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभिकरणों से प्रश्नगत प्रकरण में संकलित सूचना सूचीबद्ध कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

पत्र सं॰ 2B673-03 / दि॰ 8-2023

उत्तर प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1
संख्या-01/आ॰ म॰/64-2099/3/2023
लखनऊ दिनांक: 13 फरवरी, 2023

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या-मि.संरा.पि.व.आ./06/12/1072/ 2022-स/राज्य/उ.प्र., दिनांक 22.12.2022 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ प्राप्त प्रश्नावली में इंगित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त प्रश्नावली में आपके विभाग से संबंधित निम्नवत् बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

बिन्दु संख्या	बिन्दु
ग- अन्य पिछड़े वर्गों की वास्तविक दावों का सत्यापन	रोजगार के क्षेत्र में (iv) कर्मचारी की सेवा के दौरान शिकायत की प्राप्ति पर। (ख) कृपया विगत तीन कलेंडर वर्षो के दौरान जांच की गई दावों की संख्या तथा भर्ती के समय वास्तविक रूप से पाए गए नकली दावों की सूची और प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई प्रस्तुत करें। (ग) कृपया विगत तीन कैलेंडर वर्षो के दौरान उन कर्मचारियों का ब्यौरा प्रस्तुत करें जिनके विरुद्ध नकली / धोखे से अन्य पिछड़े वर्गों उम्मीदवारों के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए सेवा के दौरान शिकायतें प्राप्त की गई थी, प्रत्येक मामलों में कार्रवाई की गई (जांच की गई) और सक्षम प्राधिकारी / अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अंतिम निपटान / निर्णय लिया गया जिसमें की सत्य पाई गई थी।
घ- राज्य में ओ0बी0सी0 का विकास एवं निधियों का परिमाणीकरण	(ii) कृपया विस्तार से निम्नलिखित को प्रस्तुत करें:- (b) विगत तीन वर्षो के दौरान राज्य / संघ शासित प्रदेश अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए राज्य में निर्धनतारोधी एवं रोजगार-सृजक योजनायें / कार्यक्रमों का क्या प्रभाव रहा है ?
ज- सेवा सुरक्षण	(v) (a) क्या ऐसे कोई उदाहरण है जहां व्यक्तियों ने झूठे जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य सरकार के अधीन रोजगार प्राप्त किया है ? (b) यदि ऐसा है तो राज्य सरकार की जानकारी में लाए गए ऐसे मामलों की संख्या एवं इसमें की गई कार्रवाई को इंगित करें। (c) ऐसे मामलों के दोहराव को टालने के लिए उठाए गए कदमों को भी इंगित करें। (d) क्या राज्य / संघ शासित प्रदेश में झूठे अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के लिए समिति गठित की है, यदि ऐसा है तो कृपया समिति की संरचना एवं पिछले पांच वर्षों में निपटाए गए मामलों का विवरण इंगित करें।

क्रम सं SI. No.		2020-21	2021-22	2022-23		
1	प्राप्त शिकायतों की सं॰ (पिछले वर्ष से लंबित शिकायतों सहित)					
2	जांच के लिए जिला सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजी गयी शिकायतों की सं॰					
3	जिले से प्राप्त जांच रिपोर्टों की सं॰					
4	वर्ष के दौरान समाप्त मामलों की सं॰					
5	वर्ष के दौरान लंबित मामलों की सं॰					

(सुनील कुमार सिंह)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0 प्र0 शासन।

2377174/2023/ -3

3- यह भी अनुरोध है कि भारत सरकार के संदर्भगत पत्र के साथ प्राप्त प्रश्नावली में उक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बिन्दु आपसे सम्बन्धित हो, तो उसकी सूचना भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त

(राधेश्याम)
विशेष सचिव।

Tele: 26714874, 20861516
2377174/2023 ...bc.nic.in
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110066
नई दिल्ली - ११००६६

Email/Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(A Constitutional Body exercising powers of Civil Court under Article 338B of the Constitution of India)

मि.सं रा.पि.व.आ./06/12/1072/2022-स/राज्य/उ.प्र. दिनांक:22.12.2022

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
प्रथम मंजिल, लालबहादुर शास्त्री भवन
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
लखनऊ -226001, उत्तर प्रदेश
ईमेल: csup@nic.in

विषय: अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा के संबंध में।

महोदय,

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338ख के तहत् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। भारतीय संविधान (102वें संविधान संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आयोग का यह कर्तव्य है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे एवं सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 338ख के खण्ड (3) द्वारा महामहिम राष्ट्रपति में निहित शक्ति से दिनांक 24.11.2022 को पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी ने दिनांक 02.12.2022 को आयोग के अध्यक्ष पद का प्रभार सम्भाल लिया है।

3. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा करने का निश्चय किया है। अत: अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रश्नावली का संतोषजनक उत्तर 15 कार्यदिवस के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4. यह पत्र माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(ए.के.देवरी)
निदेशक, रा.पि.व.आ.

प्र.स., समाज कल्याण
30.12.2022
निदेशक पि.व.क., प्रबन्ध निदेशक, सचिव, राज्य पि.व. आयोग कृपया अपने से सम्बन्धित सूचना पत्र में दी गयी अधे आख्या तत्काल शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
12.01.23
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु-2
06-1-23
आज प्राप्त 12.01.2023
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु-2 20.1.2023

प्रश्नावली

Questionnaire

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय

A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338B of the Constitution of India.

राज्य स्तर पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ कार्यवान्वित विभिन्न रक्षोपायों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा

Review of working of various safeguards and programmes for Welfare of OBCs at the State Level

राज्य का नाम:.....

Name of the State: .....

क. सामान्य

A. General

(i) राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का निपटान करने वाले नोडल विभाग का नाम एवं पता:

Name and address of the Nodal Department Dealing with matters relating to OBCs in the State:

(ii) नोडल विभाग के प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव का नाम एवं संपर्क का ब्यौरा:

Name and Contact details of Principal Secretary/ Secretary In charge of Nodal department:

नाम एवं पदनाम:
Name and Designation:

पता:
Address:

दूरभाष सं.:
Telephone No.:

फैक्स सं.:
FAX No.

मोबाइल सं.:
Mobile No.:

ई–मेल आईडी
E-mail ID:

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचना प्रस्तुत करने के लिए पदनामित प्रधान सचिव/सचिव के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नोडल अधिकारी/संपर्क अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी के संपर्क का ब्यौरा:

Contact details of the Officer nominated as Nodal Officer/Liaison Officer for OBCs other than Principal Secretary/ Secretary designated to furnish information to the NCBC:

नाम एवं पदनाम:
Name and Designation:

पता:
Address:

दूरभाष सं.:
Telephone No.:

फैक्स सं.:
FAX No.

मोबाइल सं.:
Mobile No.:

ई–मेल आईडी
E-mail ID:

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गई अंतिम समीक्षा:

Last Review by National Commission for Backward Classes held on: ....

(v) अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्टों / सिफारिशों पर की गई कार्रवाई भेजी गई: ....

Action taken report on the report/ recommendations of the NCBC sent on:

(कृपया की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)
(Please attach a copy of the Action taken report)

ख. जनसांख्यिकी
B. Demography

(i) जनसंख्या वितरण
Population distribution

	कुल जनसंख्या (लाख में) Total population (in lakhs)				अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या (लाख में) OBCs population (in lakhs)				कुल जनसंख्या में से अन्य पिछड़े वर्गों की प्रतिशतता % age of OBCs to total population		
	कुल Total	पुरुष Male	महिला Female		कुल Total	पुरुष Male	महिला Female		कुल Total	पुरुष Male	महिला Female
ण ा											
ी ın											
ी											

(ii) साक्षरता दर

Literacy Rate

	सभी जनसंख्या में साक्षर (प्रतिशत में) Literacy among All population (in % age)			अन्य पिछड़े वर्गों जनसंख्या में साक्षर (प्रतिशत में) Literacy among OBCs population (in % age)			गैर अन्य पिछड़े वर्गों में साक्षर (प्रतिशत में) Literacy among Non-OBCs population (in % age)		
	कुल Total	पुरूष Male	महिला Female	कुल Total	पुरूष Male	महिला Female	कुल Total	पुरूष Male	महिला Female
ग्रामीण Rural									
शहरी Urban									
कुल Total									

(iii) आर्थिक स्थिति

Economic Status

(क) बीपीएल परिवार

(a) BPL families

{सर्वेक्षण के अनुसार (उल्लेखित.....) दिनांक .....}

{As per Survey (Specify.....) dated .....}

	सभी जनसंख्या All population				अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या OBC population			
	कुल जनसंख्या Total population	कुल परिवार Total families	गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या No. Of families below poverty line	बीपीएल की प्रतिशतता %age of BPL to total families	कुल जनसंख्या Total population	कुल परिवार Total families	गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या No. Of families below poverty line	बीपीएल की प्रतिशतता % age of BPL to total families

ग्रामीण Rural								
शहरी Urban								
कुल Total								

(ख) कृपया गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के नवीनतम आंकडे प्रस्तुत करें, यदि उपलब्ध हो तो
(b) Please furnish **latest estimates** of BPL families, if available

(ग) कृपया रोजगार मांगने वाले व्यक्तियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें–.....तक रोजगार कार्यालयों में नवीनतम नामांकन

(c) Please furnish details of persons seeking employment-Latest Enrolment at Employment Exchanges as on _____

	सभी जनसंख्या All population				अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या OBC population			
	कुशल Skilled	माध्यमिक तक Upto Matric	स्नातक Graduates	पेशा Professionals	कुशल Skilled	माध्यमिक तक Upto Matric	स्नातक Graduates	पेशा Professionals
ग								

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों की वास्तविक दावों का सत्यापन

C. Verification of genuine claims of OBCs

(i) रोजगार के क्षेत्र में
In the course of Employment

(क) अन्य पिछड़े वर्गों की वास्तविक दावों की जांच की प्रक्रिया क्या है
What is the procedure for examination of genuine claims of OBCs candidates :

(ङ) (i) आरंभिक भर्ती पर
On Initial recruitment

(ii) क्या अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से संबंधित/प्रवासित अन्य पिछड़े वर्गों उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता आमंत्रित करने वाले आवेदनों के विज्ञापन/परिपत्र में स्पष्ट किए गए हैं

Whether eligibility or ineligibility of OBCs candidates belonging to / migrated from other States/ UTs is made clear in the advertisement/ Circular inviting applications

(iii) क्या यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, आवेदन करने/नियुक्ति से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र संवीक्षा समिति द्वारा उम्मीदवार की जाति प्रमाणपत्र की वैधता आवश्यक है

Whether it is also mentioned that, as per directions of the Supreme Court of India, validation of OBC (NCL) certificate of the candidate by the caste certificate scrutiny Committee before applying/ appointment is compulsory.

(iv) कर्मचारी की सेवा के दौरान शिकायत की प्राप्ति पर।
On Receipt of complaint during the service of the employee.

(ख) कृपया विगत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान जांच की गई दावों की संख्या तथा भर्ती के समय वास्तविक रूप से पाए गए नकली दावों की सूची और प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करें।

(b) Please furnish the number of claims checked and the list of claims actually found false/ fake at the time of recruitment and the action taken in each case during last three calendar years.

(ग) कृपया विगत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान उन कर्मचारियों का ब्यौरा प्रस्तुत करें जिनके विरूद्ध नकली/धोखे से अन्य पिछड़े वर्गों उम्मीदवारों के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए सेवा के दौरान शिकायतें प्राप्त की गई थी,, प्रत्येक मामलों में कार्रवाई की गई (जांच की गई) और सक्षम प्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अंतिम निपटान/निर्णय लिया गया जिसमें की गई शिकायत सत्य पाई गई थी।

(c) Please furnish details of employees against whom complaints were received during service for obtaining employment as OBCs candidates on false/ fake/ fraudulent basis during last three calendar years, action taken (investigation made) in each case and the final disposal/ decision taken by the competent authority/ disciplinary authority in the event of the complaint having been found true.

शिक्षा के क्षेत्र में
In the course of Education

(क) अन्य पिछड़े वर्गों की वास्तविक दावों की जांच की प्रक्रिया क्या है:

(a) What is the procedure for examination of genuine claims of OBCs candidates:

(i) दाखिले से पहले
Before Admission

(ii) (क्या अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से संबंधित/प्रवासित अन्य पिछड़े वर्गों उम्मीदवारों की पात्रता अथवा अपात्रता आमंत्रित करने वाले दाखिले के प्रपत्र वाले विज्ञापन/विवरणिका में स्पष्ट किए गए हैं)

(Whether eligibility or ineligibility of OBCs candidates belonging to / migrated from other States/ UTs is made clear in the advertisement/ Brochure inviting admission forms)

(iii) क्या विज्ञापन/दाखिले के विवरणिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, दाखिले के लिए आवेदन करने से पहले अन्य पिछड़े वर्गों नॉन–क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र संवीक्षा समिति द्वारा उम्मीदवार की अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र की वैधता आवश्यक है.

Whether it is also mentioned in the advertisement/ Admission Brochure that, as per directions of the Supreme Court of India, validation of OBCs (NCL) certificate of the candidate by the OBCs (NCL) certificate scrutiny Committee before applying for admission is compulsory.

(iv) अध्ययन के दौरान प्राप्त की गई शिकायत
Receipt of complaint during the course of study

(v) अध्ययन पूरा करने के बाद
After completion of course of study

(ख) कृपया विगत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान जांच की गई दावों की संख्या तथा दाखिले के समय वास्तविक रूप से पाए गए नकली दावों की सूची और प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करें।

(b) Please furnish the number of claims checked and the list of claims actually found false/ fake at the time of admission during last three academic years and the action taken in each case.

(ग) कृपया विगत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान उन विद्यार्थियों का ब्यौरा प्रस्तुत करें जिनके विरुद्ध नकली/धोखे से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के रूप में दाखिला प्राप्त करने के लिए अध्ययन के दौरान शिकायतें प्राप्त की गई थी, प्रत्येक मामलों में कार्रवाई की गई (जांच की गई) और सक्षम प्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अंतिम निपटान/निर्णय लिया गया जिसमें की गई शिकायत सत्य पाई गई थी।

(c) Please furnish details of students against whom complaints were received during the course of study for having got admission as OBCs candidates on false/ fake/ fraudulent basis, or as ineligible candidate, during last three academic years, action taken (investigation made) in each case and the final disposal of case/ decision taken by the competent authority/ disciplinary authority in the event of the complaint having been found true.

(iii) कृपया स्पष्ट करें
Please state

क्या राज्य सरकार ने नकली/धोखे से प्राप्त अन्य पिछड़े वर्गों नॉन–क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र अथवा अन्य राज्यों से संबंधित अवैध जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा नकली दावों के मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई कानून/विनियम अधिनियमित किया है जिस तरह 1994 में प्रसिद्ध माधुरी पाटिल के मामले में जारी किया गया था।

Hon'ble State Government have enacted any Legislation/ Regulation to implement the Supreme Court directions, for checking cases of false claims by ineligible candidates as OBCs on the basis of fake/ fraudulently obtained OBCs (NCL) certificates or invalid caste certificates/ belonging to other State, issued in the well known Madhuri Patil case in 1994.

घ. राज्य में ओबीसी का विकास एवं निधियों का परिमाणीकरण

D. Development of OBCs in the State and quantification of funds

(i) अन्य पिछड़े वर्गों का आवास
OBC habitations

(क) कृपया अपने राज्य से संबंधित विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों समुदायों की संख्या बताए:

(a) Please state the number of OBCs communities specified in relation to your State:

(ख) कृपया अवरोही क्रम में अन्य पिछड़े वर्गों समुदाय–वार जनसंख्या और क्षेत्र जिनमें सामान्यतया वे रहते हैं, दर्शाया गया एक विवरण संलग्न करें।

(b) Please attach a statement showing OBCs community- wise population in descending order and the areas in which generally living:

(यदि आवश्यक हो, तो एक विवरण संलग्न करें)
(Please attach a statement, if necessary)

अ.पि.व.समुदाय का नाम Name of OBCs community	जनसंख्या Population	कुल अ.पि.व.जनसंख्या की प्रतिशतता % age to total OBCs pop.	आवासीय जिले Districts inhabited

2377174/2023/ -3

(ग) राज्य की योजना से अन्य पिछड़े वर्गों के कल्यानार्थ कोषों का उपयोग

Utilisation of funds for welfare of OBCs from State Plan

(ii) कृपया विस्तार से निम्नलिखित को प्रस्तुत करें:

Please furnish following in detail:

(a) ग्रामीण कारीगरों के लिए कृषि लघु सिंचाई और मृदा संरक्षण, बागवानी, पशुपालन, कुम्हारगिरि और मत्स्य पालन के विकास के लिए चलाई जा रही विशेष योजनायें क्या हैं जो यदि गहनता से चलाई जाए तो अन्य पिछड़े वर्गों के सभाजार्थिक विकास और उनके आय को बढ़ाने पर बृहत्तर प्रभाव डालेंगी?

What are the Special schemes, undertaken for development of agriculture, minor irrigation and soil conservation, horticulture, animal husbandry, pottery and fisheries for rural artisans which if taken up intensively would have greater impact on socio-economic development of OBCs and multiply their income ?

(b) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए राज्य में निर्धनतारोधी एवं रोजगार–सृजक योजनायें/कार्यक्रमों का क्या प्रभाव रहा है?

What has been the impact of the anti-poverty and employment generation schemes/ programmes in the State as a whole and flow of benefits to the OBCs in the State/UT during the last three years?

Please furnish a note regarding working and performance of each of the below mentioned schemes and the benefits that have flown to the OBCs in the State during last five years

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस)
   Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
2. दीन दयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम
   Deen Dayal Antyodaya Yojana - NRLM
3. दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई)
   DeenDayal Upadhyaya-GrameenKaushalyaYojana(DDU-GKY)
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
   Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
   National Social Assistance Programme (NSAP)
6. प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी शहरियों के लिए आवास)
   Pradhan Mantri AwasYojana(Housing forAll-Urban)
7. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)
   Pradhan Mantri Awaas Yojna - Gramin (PMAY-G)

8. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

Swachh Bharat Mission (SBM)

9. स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम–जी)

Swachh Bharat Mission - Gramin (SBM- G)

10. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

National Rural Drinking Water Programme O(RDWP)

11. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)– एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) - Integrated watershed Management Programme (IWMP)

12. डिजीटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)

Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)

13. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)

14. श्याम प्रसाद मुखर्जी ग्रामशहरी मिशन–राष्ट्रीय ग्रामशहरी मिशन (एनआरयूएम)

Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission-National Rurban Mission(NRuM)

15. शहरी धरोहर विकास और संवर्द्धन योजना (एचआरआईडीएवाई)

Heritage city Development and Augmentation Yojana (HRIDAY)

16. कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी)

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)

17. स्मार्ट सिटी मिशन

Smart City Mission

18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

19. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

National Health Mission (NHM)

20. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

Sarva Siksha Abhiyan (SSA)

21. एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

Integrated Child Development Scheme (ICDS)

22. मिड–डे मील स्कीम

Mid-Day Meal Scheme

23. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई)

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)

24. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

25. डिजीटल भारत– लोकहित पहुंच कार्यक्रम–प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र उपलब्ध करवाना

Digital India - Public Internet Access Programme - providing Common Service Centre in each Gram Panchayat

26. टेलीकोम, रेलवे, सड़क मार्ग, जलमार्ग, खदान इत्यादि जैसे ढांचागत संबंधी कार्यक्रम

Infrastructure related programmes like Telecom, railways, highways, waterways, Mines, etc.

27. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)

Pradhan Mantri Khanij Kshetra KalyanYojana(PMKKKY)

28. एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)

Integrated Power Development Scheme (IPDS)

29. संसाधनों का गैर–व्यपगमनीय केंद्रीय पुल (एनएलसीपीआर) स्कीम

Non-Lapsable Central Pool of Resources(NLCPR)scheme

30. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)

31. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)

32. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)

Soil Health Card (SHC)

33. ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एनएएम)

e-National Agriculture Markets (E-NAM)

34. पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी)

PMKSY (HKKP)

35. भूतल लघु सिंचाई योजना

Surface Minor Irrigation Scheme

36. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय की मरम्मत नवीकरण एवं पुर्नस्थापन (आरआरआर) स्कीम

Repair, Renovation and Restoration (RRR) Scheme of Ministry of water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

37. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएंजीवाई)

Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)

38. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

39. सुगम्य भारत अभियान

Sugamya Bharat Abhiyan

40. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं

Beti Bachao Beti Padhao

41. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयन

Implementation of National Food Security

42. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ यदि कोई अन्य योजना संचालित हो तो उसका उल्लेख करें।

(ii) कृपया निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यावसायिक संस्थानों (केंद्रीय/राष्ट्रीय को छोड़कर) में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और वास्तव में भरी गई संख्या तथा रिजल्ट का विवरण प्रस्तुत करें:–

Please indicate details of the number of seats reserved for OBCs in professional (Other than Central/ National) institutes and number actually filled and the result during last five years in the following Table:-

वर्ष Year	अ.पि.व. के लिए आरक्षित सीटों की संख्या Number of seats reserved for OBCs			अ.पि.व. द्वारा भरी गई सीटों की संख्या Number of seats filled by OBCs candidates			वर्ष के अंत में आयोजित अंतिम परीक्षा में (अ.पि.व. के बीच) उत्तीर्ण प्रतिशतता Pass percentage (among OBCs) in the final exam held at the end of the year		
	चिकित्सा Medical	अभियांत्रिकी Engg.	अन्य Others	चिकित्सा Medical	अभियांत्रिकी Engg.	अन्य Others	चिकित्सा Medical	अभियांत्रिकी Engg.	अन्य Others
(1)									
2020-21									
2021-22									
2022-23									

(iv) क्या आरक्षित सीटों को भरने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों को कोई रियायतें दी जाती है? यदि हां तो किस प्रकार की रियायतें

Are any concessions given to OBCs to fill the reserved seats? if yes, what type of concessions?

(i) राज्य में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास स्थापित किए गए हैं?

How many hostels for students in schools and colleges have been set up in the State?

छात्रावासों की बैठक क्षमता क्या है?
What is the seating capacity of the hostels?
अन्य पिछड़े वर्गों विद्यार्थियों के लिए अलग की गई सीटों की संख्या क्या है?
What is the number of seats earmarked for OBCs students

(ii) क्या कोई छात्रावास केवल अन्य पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं के लिए स्थापित है?

Are there any hostels set up exclusively for OBCs boys/ girls?

यदि हां तो कृपया छात्रावासों की कुल संख्या और सीट क्षमता का विवरण दें।
If yes, please furnish the total number of hostels and seat capacity?

(iii) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के क्रमशः बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय से कोई सहायता प्राप्त की गई है? यदि हां तो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदानों, किए गए व्यय और सीट क्षमता के बारे में विवरण प्रस्तुत करें।

Has any assistance been obtained from the Ministry of Tribal Affairs under the Centrally Sponsored Schemes for the construction of hostels for OBCs Boys and OBCs Girls respectively? If yes, furnish details about grants received, expenditure incurred and seat capacity created during last five years.

(iv) छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों के लिए लागू वृत्तियां क्या है?
What are the stipends payable to the boarders in the hostels?

च आवासन
E. Housing

(i) कृपया निम्नलिखित तालिका में अन्य पिछड़े वर्गों को मकान/मकानों के लिए स्थल आवंटित करने के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें–

Please furnish the information in the following table regarding allotment of houses/ house sites to OBCs

वर्ष Year	राज्य सरकार द्वारा आवंटित मकानों/मकानों के स्थलों की कुल सं0 Total No. of houses/house sites allotted by the State Govt.	अन्य पिछड़े वर्गों को आवंटित मकानों/मकानों के स्थलों की सं0 (कॉलम (2) में दिए गए आंकड़ों में से) Number of houses/house sites allotted to OBCs (out of the figure given in column (2))	कुल आवंटितों में से अन्य पिछड़े वर्गों आवंटितों की प्रतिशतता Percentage of OBCs allottees to total allottees	क्या कॉलम (3) में दिए गए आंकड़े राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में है Whether the figure given in column (3) compares with OBCs population %age of the State
(1)	(2)	(3)		(4)
20-21				
21-22				
22-23				

(ii) कृपया निम्नलिखित तालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें।

Please furnish the information in the following Table with respect to Indira AwasYojana

वर्ष Year	योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल सं0 Total No. of beneficiaries under the Schemes	सभी लाभार्थियों के लिए उपयोग की गई कुल राशि (रूपए लाखों में) Total amount (Rs. in lakhs) utilized for all beneficiaries	अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लाभार्थियों की सं0 (कॉलम (2) में दिए गए आंक़ड़ों में से) No. of beneficiaries belonging to OBCs [out of the figure given in column(2)]	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपयोग की गई कुल राशि (रूपए लाखों में) Total amount (Rs. in lakhs) utilized for OBCs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020-21				
2021-22				
2022-23				

(iii) प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण–उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013।

Land Acquisition for major projects- The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(a) लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की नीति क्या है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो अन्य पिछड़े वर्गों के हैं और जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए अवाप्त की गई?
What is the policy of State Govt. to rehabilitate people particularly those belonging to OBCs in the event of acquisition of their land for development purposes?

(b) क्या राज्य नीति उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के समरूप है?

Is the State policy in consonance with the provisions of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013?

(c) कृपया उन प्रमुख परियोजनाओं जिनके लिए 2013 और उसके बाद में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई, अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का कुल आकार, प्रभावित कुल एवं अन्य पिछड़े वर्गों परिवारों की कुल संख्या और अधिग्रहण के कारण वास्तव में विस्थापित परिवारों की कुल संख्या, स्वीकृत या स्वीकृति के लिए प्रस्तावित मुआवजा, स्वीकृत एवं प्रत्येक परिवार को वास्तव में स्वीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करें।

Please furnish details of the major projects for which Land Acquisition process were initiated in 2013 and onwards, total size of land to be acquired, total number of total and OBCs families affected and those actually displaced due to acquisition, Compensation granted or proposed to be granted and rehabilitation and resettlement process sanctioned and actually granted to each family.

(d) कृपया विवरण प्रस्तुत करें कि क्या भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ मुद्दे अभी भी लंबित है और परियोजना प्रभावित व्यक्ति या तो अधिग्रहण के खिलाफ या मुआवजे के स्तर, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं?

Please furnish details if some issues relating to Land Acquisition are still pending and project affected persons are agitating either against acquisition or against level of compensation, rehabilitation and resettlement?

छ प्रशिक्षण

F. Training

निम्नलिखित क्षेत्रों अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध करवायी गयी प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रकार क्या है? कृपया अलग–अलग विवरण प्रस्तुत करें।

What are the types of training facilities provided to OBCs in the following fields? Please furnish details separately.

(i) कृषि
Agriculture

(ii) लघु वन उत्पाद संग्रहण एवं विपणन
Minor forest produce collection & marketing

(iii) सहकारी कार्य
Co-operative ventures

(iv) डेयरी एवं पशु पालन
Dairying & animal husbandry

(v) कारीगरी
Artisanship

(vi) बुनाई आदि Weaving, etc

(vii) ऑटोमेटिव Automotive

(viii) हस्त टंकण और आशुलिपि तथा कम्प्यूटर टंकण
Manual Typewriting and Shorthand and Computer typing

(ix) इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स रख–रखाव
Electronic gadgets maintenance

(x) कम्प्यूटर रख–रखाव
Computer maintenance

(xi) पैरा–चिकित्सा
Para-medical

(xii) अन्य (उल्लेख करें)
Others (Specify)

सेवा सुरक्षण
G. Service Safeguards

(i) राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का कोटा क्या है?
(ii) What is the quota of reservation in various services for OBCs in the State?

सीधी भर्ती में
In direct recruitment: .....

(iii) सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को क्या रियायतें/ छूटें दी जा रही है?

(iii) What are the concessions/relaxations being given to OBCs candidates in direct recruitment?

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में किया गया आरक्षण वास्तव में लागू किया जा रहा है, क्या मशीनरी/जांच प्रयुक्त की जाती है?

What is the machinery/checks devised to ensure that the reservations made in favour of OBCs are actually implemented?

(v) (a) क्या ऐसे कोई उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने झूठे जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य सरकार के अधीन रोजगार प्राप्त किया है?
Are there instances where persons have obtained employment under the State Govt. on the basis of false caste certificates?

(b) यदि ऐसा है तो राज्य सरकार की जानकारी में लाए गए ऐसे मामलों की संख्या एवं इसमें की गई कार्रवाई को इंगित करें।
If so, indicate the number of such cases brought to the notice of State Govt. and action taken therein.

(c) ऐसे मामलों के दोहराव को टालने के लिए उठाए गए कदमों को भी इंगित करें।
Also indicate the steps taken to avoid recurrence of such cases.

(d) क्या राज्य/संघ शासित प्रदेश में झूठे अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन–क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों की संवीक्षा के लिए समिति गठित की है, यदि ऐसा है तो कृपया समिति की संरचना एवं पिछले पांच वर्षों में निपटाए गए मामलों का विवरण इंगित करें।
Has the State/UT set up any Committee for scrutiny of false OBCs (NCL) certificates? If so, please indicate the composition of the Committee and the details of cases dealt in last five years in the following Table.

क्र.सं0 No.		2020-21	2021-22	2022-23		
	प्राप्त शिकायतों की सं0 (पिछले वर्ष से लंबित शिकायतों सहित) No. of complaints received (incl. pending from previous year)					
	जांच के लिए जिला सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजी गयी शिकायतों की सं0 No. of complaint sent to District Vigilance Cell for enquiry					
	जिले से प्राप्त जांच रिपोर्टों की सं0 No. of enquiry report received from District					
	वर्ष के दौरान समाप्त मामलों की सं0 No. of cases finalized during the year					
	वर्ष के दौरान लंबित मामलों की सं0 No. of cases pending at the end of the year					

(i) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

What is the procedure followed by the State Govt. for de-reservation of vacancies reserved for OBCs?

(ii) पिछले पांच वर्षों में प्रस्तावित रिक्तियों का अनारक्षण का क्वांटम और अनारक्षण के लिए सहमति प्राप्त रिक्तियों की संख्या क्या रही है?

What has been the quantum of de-reservation of vacancies proposed and number agreed for dereservation in last five years?

(iii) आरक्षण के सर्वाधिक सामान्य आधार क्या रहे थे? What were the general/ most common grounds for dereservation?

(iv) क्या यह तथ्य नहीं है कि समूह ख,ग और घ स्तर में फीडर ग्रेड पदों को भरने में शिथिलता के कारण अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों में बड़े पैमाने पर कमी/बैकलॉग, आरक्षण तलाशने का मुख्य कारण है
Is it not the fact that large scale shortfall/ backlog in OBCs reserved post, due to slackness in filling, feeder grade posts in Group B, C and D level is the main reason for seeking dereservation.

(v) विभिन्न स्तरों पर अन्य पिछड़े वर्गों कर्मचारियों की शिकायतों के समुचित निवारण के लिए क्या मशीनरी प्रयुक्त की जाती है?

What is the machinery devised for the prompt redress of grievances of OBCs employees at various levels.

राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में अलग सूचना प्रस्तुत की जाए।

Please furnish the following information regarding representation of OBCs in State Services. Similar information may be furnished in respect of State PSUs.

(02.07.1997 के अनुसार या उस तारीख से जब से लागू होने के लिए पद आधारित रोस्टर क्या वास्तव में अधिसूचित किए गए थे)

(Whether as on 02.07.1997 or the date from which Post-Based rosters were actually notified to be implemented)

पदों का समूह Group of Posts	कर्मचारियों का कुल संख्या Total No. of Employees	अ.पि.व. कर्मचारियों की संख्या No. of OBCs Employees	प्रतिशतता Percentage	टिप्पणियां Remarks
क(समूह 'क' के सबसे निचले स्तर को छोड़कर) A (other than lowest rung of Group 'A')				
क(समूह 'क' का सबसे निचला स्तर) A (lowest rung of Group 'A')				
ख B				
ग C				
घ (सफाईकर्मियों को छोड़कर) D (Other than sweepers)				
सफाईकर्मी Sweepers				

(As on 01/01/2014)

पदों का समूह Group of Posts	कर्मचारियों का कुल सं0 Total No. of Employees	अ.पि.व. कर्मचारियों की सं0 No. of OBCs Employees	प्रतिशतता Percentage	टिप्पणियां Remarks
क(समूह 'क' के सबसे निचले स्तर को छोड़कर) A (other than lowest rung of Group 'A')				
क(समूह 'क' का सबसे निचला स्तर) A (lowest rung of Group 'A')				
ख B				
ग C				
घ(सफाईकर्मियों को छोड़कर) D (Other than sweepers)				
सफाईकर्मी Sweepers				

(As on 01/01/2018)

पदों का समूह Group of Posts	कर्मचारियों का कुल सं0 Total No. of Employees	अ.पि.व. कर्मचारियों की सं0 No. of OBCs Employees	प्रतिशतता Percentage.	टिप्पणियां Remarks
क(समूह 'क' के सबसे निचले स्तर को छोड़कर) A (other than lowest rung of Group 'A')				
क(समूह 'क' का सबसे निचला स्तर) A (lowest rung of Group 'A')				
ख B				
ग C				
घ (सफाईकर्मियों को छोड़कर) D (Other than sweepers)				
सफाईकर्मी Sweepers				

vii) क्या राज्य ने में सेवाओं/पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को शासित करने वाला कोई अधिनियम ख्यापित किया है? यदि ऐसा है तो संशोधनों के अद्यतन सेट एवं संबंधित अनुदेशों/आदेशों के साथ अधिनियम की एक ति भेजें।

Has the State promulgated any Act governing the reservation for OBCs in services/Posts? If so, a copy of Act along with up-to-date set of amendments and other related instructions/ orders may be supplied?

File